

विक्रय इकरारनामा
(कब्जा हस्तांतरित नहीं हो)

इकरारकर्ता:- श्री/श्रीमती/कु _____ पिता _____ पता _____
(विक्रेता) _____

एवं

इकरारगृहीता:- श्री/श्रीमती/कु _____ पिता _____ पता _____
(क्रेता) _____

इकरारकर्ता (विक्रेता) का एक मकान/प्लॉट, जो वार्ड/मुहल्ला _____ तहसील _____ जिला _____
में स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

#	पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
भुजा का माप				
पड़ोस				
क्षेत्रफल(वर्ग मी/वर्ग फ़ीट)				

उक्त भूखंड/भवन का स्वामित्व प्रथम पक्षकार विक्रेता है , विक्रेता को इस भूखंड को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है , विक्रेता ने इससे पूर्व मकान/भूखंड किसी को किसी अन्य को विक्रय , दान, बंधक या अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं किया है तथा उक्त मकान पर विक्रेता की काबिज है तथा निरंतर उसके स्वामित्व में है | उक्त मकानभूखंड ऋण, कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही उक्त मकान/भूखंड के सम्बन्ध में कोई प्रकरण किसी न्यायालय (राजस्व/सिविल) में प्रचलित है | उक्त मकान/भूखंड स्वत्व की दृष्टि से हर तरह से पाक एवं साफ़ है जिसक एकमात्र स्वामी विक्रेता है |

यह विक्रय-इकरारनामा साक्षांकित करता है :

1. यह की उक्त विक्रेता ने क्रेता से उक्त मकान/भूखंड के प्रतिफल की राशि _____ रूपये में विक्रय का करार किया है | उक्त करार में विक्रेता ने क्रेता से बयान के रूप में _____ रूपये प्राप्त कर लिए है , शेष रूपये रजिस्ट्री निष्पादित होने दिए जाने का करार किया जाता है |
2. यह कि विक्रेता उक्त करार के अनुसरण में विक्रय पत्र का निष्पादन दिनांक/अवाधि _ _ _ में करके संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता को कर देगा एवं क्रेता, विक्रेता को शेष रूपये का भुगतान कर देगा |
3. यह कि निर्धारित उक्त अवधि में क्रेता द्वारा भुगतान नहीं करने पर विक्रेता को करार समाप्त करने का अधिकार होगा एवं बयाने की राशि जब्त कर ली जाएगी |
4. यह शेष राशि का भुगतान करने पर क्रेता रजिस्ट्री निष्पादित करवाकर संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा | जिसमे चूक करने पर विक्रेता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा |

इकरारकर्ता (विक्रेता)	नाम _____	हस्ताक्षर _____	इकरारगृहीता नाम (क्रेता)	नाम _____	हस्ताक्षर _____
साक्षी/ गवाह	नाम _____	हस्ताक्षर _____	साक्षी/ गवाह	नाम _____	हस्ताक्षर _____